

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर


कार्यालय आदेश

निम्नांकित प्रयोगशाला सहायक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III का अन्तर जिला स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है। कार्मिक अपने नवीन पदस्थापित स्थान तत्काल कार्यग्रहण कर लें।

SR	NAME	POST	वर्तमान पदस्थापन स्थान	DIST	स्थानान्तरित स्थान	DIST
1	ASHOK KUMAR	Librarian IIIrd	GOVT. A SENIOR SECNDARY SCHOOL GOLA KA BAS, BLOCK- RAJGARH, ALWAR (08061100917)	Alwar	GOVT. SR. SEC. SCH. NANDERA (08110103301)	Dausa
2	BEVI KUMARI	Lab Assistant (III Gr.)	GOVT. GIRLS SR. SEC. SCHOOL, UCCHAN (08070902113)	Bharatpur	GOVT. SR. SEC. SCHOOL TONTARI (08080204003)	Dholpur
3	HIMANSHU KUMAR	Lab Assistant (III Gr.)	GOVT. SR. SEC. SCHOOL, DANTARAMGARH (08130402907)	Sikar	GOVT. SR. SEC. SCHOOL MARENA (08080407506)	Dholpur
4	JUGAL KISHORE	Lab Assistant (III Gr.)	GOVT SARDAR SEN. SEC SCHOOL KOTPUTLI (08120114610)	Jaipur	GSSS SONADI (08020207305)	Hanumangarh
5	VEERU MEENA	Lab Assistant (III Gr.)	G. S. SEC. S. DABOK (08260307518)	Udaipur	GOVT SEN SEC SCH UDAIPURIA (08120407615)	Jaipur
6	SANWAR MAL JANGID	Librarian IIIrd	G SSS BIRAMSAR (08040605402)	Churu	GOVT. SR. SEC. SCH., PALRI (08130211607)	Sikar
7	LAXMAN SINGH	Lab Assistant (III Gr.)	G. SR. SEC. SCHOOL GIRLS, LUNKARANSAR (08030215137)	Bikaner	GOVT. JO. SR. SEC. SCH., LAXMANGARH (08130216142)	Sikar

उक्त स्थानान्तरण आदेश निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी किये जाते हैं। उक्त स्थानान्तरण आदेशों में कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण से पूर्व निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे। शर्तों की पालना नहीं किये जाने पर सम्बन्धित संबंधित संस्था प्रधान एवं कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी :-

- गाननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं कराया जावे साथ ही ऐसे प्रकरण को तत्काल निदेशालय के ध्यान में लाया जावे।
- टीएसपी क्षेत्र से नॉनटीएसपी में स्थानान्तरण प्रकरण हो तो कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- स्वेच्छा से अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिकों को योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- यदि उक्त प्रकरणों में कोई प्रकरण सीधी भर्ती से पदस्थापित परीक्षाधीन अध्यापक का हो तो कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं किया/करवाया जावे
- शिक्षक का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण के समय कार्मिक की स्वेच्छा से स्थानान्तरण होने के कारण पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन एवं स्थानान्तरित जिले में वरिष्ठता कनिष्ठतम होने संबंधित सहमति का शपथ पत्र लिया जावे अन्यथा कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे।



(नथमल डिपेल)

आई.ए.एस.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/स्थानान्तरण/बोल-2/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूधनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- शारान उप सचिव, शिक्षा युप-2 विभाग राजस्थान जयपुर।
- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय
- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले से अन्य जिले में स्थानान्तरित अध्यापक व समकक्ष की वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र-6 जारी कर) की कार्यवाही करें एवं अन्य जिले से आपके जिले में स्थानान्तरित अध्यापक व समकक्ष की वरिष्ठता के सन्ध में संबंधित कार्मिक का जिले परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के नियम-29 के परन्तुक 10 के नीचे अंकित स्पष्टीकरण के अनुसार नवीन जिले में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार मये जिले में कनिष्ठतम के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अकारित किया जाना सुनिश्चित करावे।

4 सम्बन्धित संस्था प्रधान / कार्मिक।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर